

एजुकेशन

सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित छात्रों को MBBSS करने और मरीजों का इलाज करने की दी इजाजात

उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में दृष्टिबाधित व्यक्ति को एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने और मरीजों के उपचार की अनुमति दे दी। शीर्ष न्यायालय ने इस आधार पर व्यक्ति को एमबीबीएस की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी क्योंकि उसने विकलांग वर्ग में राष्ट्रीय प्रत्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), 2018 पास की थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एमबीबीएस में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि उसने विकलांग वर्ग में अपनी मेधा के आधार पर उत्तीर्ण किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता को नामांकन का पात्र माना जाता है, उसे वर्तमान अकादमिक वर्ष 2018-19 में नामांकन दिया जाएगा।

इससे संबंधित घटनाक्रम में पिछले साल 24 सितंबर को शीर्ष न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में वर्णन्य छात्रों के लिए एमबीबीएस का द्वारा खोल दिया था।

उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन की राह हुई आसान

उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रमाणन देने का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिवद (नैक) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) का एकाधिकार खत्म होने वाला है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इस क्षेत्र को सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों के लिए खोल दिया है। यूजीसी ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने

'हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि यूजीसी ने 2022 तक सभी देश में मौजूद सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (असेसमेंट एवं एकेडेशन) का लक्ष्य निर्धारित किया है।'

900 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं 40 हजार से अधिक कॉलेजों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए सिर्फ दो संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए हमने इस क्षेत्र को अन्य संस्थाओं के लिए खोल दिया है। अब कोई भी सरकारी और अर्ध-सरकारी कंपनी, सोसायटी या ट्रस्ट इस मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी (एए) बनने के लिए आवेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रेशन के बाद मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की सेवाएं दे सकेगी। जानकारों की माने तो इस प्रावधान के बाद आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी एए की भूमिका निभा सकते हैं।

यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, एए के चयन एवं नियंत्रण के लिए यूजीसी एक 10 सदस्यीय प्रत्यायन सलाहकार समिति का गठन करेगा। यह समिति आवेदनों की जांच करने के बाद चयनित संस्थानों के नाम यूजीसी को सौंपेगी। इसके बाद यूजीसी इन मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी को अधिसूचित कर देगा।

निर्देश : विश्वविद्यालय-कॉलेज की कैंटीन में पिज्जा-बर्गर नहीं

जंक फूड के बढ़ते प्रचलन और स्वास्थ्य पर पहले वाले दुष्प्रभाव से युवाओं खासकर छात्रों को बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक बड़े फैसला किया है। उसने देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में पिज्जा-बर्गर जैसे जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश

दिया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है, 'कॉलेजों में जंक फूड को प्रतिबंधित करना नए मानदंड स्थापित करेगा। छात्रों के जीवन को बेहतर बनाएगा और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा। इससे छात्रों में मोटापा घटेगा साथ ही यह जीवनशैली से संबंधित रोगों की रोकथाम करेगा।'

यह परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश के बाद जारी किया गया है। मंत्रालय ने यूजीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया है, 'आपसे परामर्श का सछती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है। युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करें।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पहले से प्रतिबंध पूर्व में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इसी तरह का एक कदम उठाया था। उसने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने केंटीन की मेन्यू से जंक फूड हटाने का निर्देश दिया था। स्कूलों को छात्रों के लंच बॉक्स की जांच करने, पोषक भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने और छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने को भी कहा गया था।

हेत्य/एजुकेशन/सामान्य ज्ञान/व्यापार

साप्ताहिक न्याय साक्षी

05

आरबीआई ने की पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों की गिनती, कष्ट- 99.3 फीसदी पैसा बैंकों में वापस आया

नई दिल्ली। नोटबंदी के करीब दो साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बंद नोटों के बाद बैंकों के पास 1,000 के नोटों की गिनती पूरी हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वित्त वर्ष 2017-18 के एनआल रिपोर्ट में कहा है कि बंद किए गए 99.3 प्रतिशत नोट बैंकों में



लौट गए हैं। नोटबंदी के समय मूल्य के हिसाब से 500 और 1,000 रुपये के 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोट

चलन में थे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती का जटिल कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के पास आए एसबीएन की गिनती हाई स्प्रीड कर्सरी वेरिफिकेशन ऐंड प्रोसेसिंग सिस्टम (RBI) से की गई है और

हेत्य क्या लिपस्टिक हॉटों को बना रही है जहरीला? जानें सच

क्या आपने कभी अपनी मॉम या फिर सिस्टर की लिपस्टिक ट्राइ की है? कम से कम बचपन में तो की ही होगी। आपको

यह भी याद होगा कि जब आप अपनी मॉम की लिपस्टिक लगाती थीं तो कैसे उनसे डांट पड़ती थीं। वह डांट इसलिए नहीं पड़ती थीं कि आपने उनकी लिपस्टिक लगाई है, बल्कि इसलिए पड़ती थीं कि उस लिपस्टिक को लगाने और उसके मुंह में चले जाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला था।

लिपस्टिक क्यों है नुकसानदायक?

दरअसल लिपस्टिक में लेड होता है, जो एक न्यूट्रोटिक्सन होता है और इसकी बजह से लर्निंग और लैंग्वेज संबंधी प्रेशनियां हो सकती हैं। हालांकि सभी लिपस्टिक्स में लेड नहीं होता और न ही कोई ब्रैंड अपने प्रॉडक्ट के इन्सीडेंट्स में लेड होने के बारे में बताता है। सबसे प्रेशनियों की बात यह है कि लिप्सी हमारी बोडी का एक ऐसा हिस्सा हैं, जहां से कोई भी चीज सीधे शरीर में प्रवेश कर सकती है। यानी आप लिपस्टिक्स में लेड हैं तो फिर लिप्स उसे आजानी से अब्जॉर्ब कर सकते हैं।

कांस्मेटिक फिजिशन डॉक्टर रशिम शेट्टी के अनुसार, अगर कोई महिला रोजाना लिपस्टिक लगा रही है तो फिर यह उसके लिए चिंता की बात है और उसे सचेत हो जाना चाहिए। लाल और गहरे रंग की लिपस्टिक्स में धातुओं की अधिकता होती है। लिपस्टिक लगाने के बाद होंठों को बार-बार चाटना, टच करना या फिर लंबे समय तक टिकने वाले कलर लगाना, काफी नुकसान पहुंचा सकता है।

बचाव के लिए क्या करें?

लिपस्टिक में लेड समेत कई अन्य धातु अत्यधिक मात्रा में नहीं होते। यही बजह है कि अगर ये हमारे मुंह में चले भी जाएं तो इनसे मेजर लेवल पर नुकसान नहीं होगा। हालांकि फिर भी यह सलाह दी जाती है कि लिपस्टिक्स और अन्य कॉस्मेटिक्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह वाकई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है कि लिपस्टिक लगाने से पहले आप अपने होंठों पर एक बेस लगाएं और दिनभर लिपस्टिक लगाने की अपनी आदत को बदल दें।

यह शक्ति मुद्रा शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाती है

शक्ति मुद्रा से नाड़ियां ठीक से काम करती हैं और शरीर ऊर्जावान बनता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाती है। यह बजह से नाड़ियों की बात है कि अगर ये उपरान्त राजी होते।

यह मुद्रा शारीरिक श्रम करने वालों, नकारात्मक विचार रखने वालों, तनावग्रस्त लोगों, अनिद्रा, स्लिप डिस्क और पीठ दर्द में रखासौरात से उपयोगी है। दोनों हाथों के अंगूठों के शेष उंगलियों के बीच दबाकर मुझे बना लें।

फिर, बैठकर या लेटकर उसे नाभि के नीचे पेट पर हल्के से रखें। मुट्ठियों की उंगलियां आमने-सामने सीधी हों (नीचे की ओर नहीं)। दोनों मुट्ठियों के बीच लगभग दो इंच का अंतर रहे। थीमी-लंबी-गहरी सास के साथ रोजाना आधा घंटा। यदि इसे बजासन में बैठकर किया जाए, तो चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं।

मोटापे की वजह से जांघों के बीच होती है रगड़ तो अपनाए ये तरीका

जो लोग मोटापे के शिकायत होते हैं। उन लोगों में जांघों की रगड़ की परेशानी बहुत होती है। यह रगड़ काफी